

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)


क्रमांक एफ 4()परावि/जिला आयोजना/संस्थापन./2015-16/ 14/2 जयपुर
दिनांक 31/03/16

:: आदेश ::

विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 784 दिनांक 24.02.16 द्वारा 33 सांख्यिकी अधिकारी (प्रत्येक जिला परिषद में एक-एक कुल 33) पद सृजित किये गये थे । उक्त आदेशों को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहारित किया जाता है ।

यह आदेश वित्त विभाग की आई संख्या 331600192 दिनांक 11.3.16 एवं 331600240 दिनांक 30.3.16 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से




(आनंद कुमार)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, मा.मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर
3. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर ।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज.जयपुर को उनकी आई.डी.संख्या 331600192 दिनांक 11.3.16 एवं 331600240 दिनांक 30.3.16 के क्रम में प्रस्तुत है ।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज. जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त पदों पर कोई पदस्थापन न किया जावे, यदि कोई पदस्थापन कर दिया गया है, तो प्रत्याहारित कराना सुनिश्चित करावें ।
7. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर ।
8. जिला कलेक्टर, समस्त ।
9. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय जयपुर ।
10. उप शासन सचिव, प्रशा.1 मुख्यालय जयपुर ।
11. समस्त मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पदों पर किसी भी सांख्यिकी अधिकारी को कार्यग्रहण नहीं करावें एवं यदि किसी को कार्यग्रहण करवा लिया गया है, तो तत्काल पैतृक विभाग के लिए कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करावें ।
12. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, मुख्यालय ।
13. सहायक लेखाधिकारी, बजट मुख्यालय ।
14. संबंधित संस्थापन लिपिक मुख्यालय ।
15. आदेश/रक्षित पत्रावली ।


अतिरिक्त आयुक्त